REET 2021 परीक्षा के सम्बन्ध में पूछे जा रहे सामान्य प्रश्नों के उत्तर :

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 की अनुपालना में REET -2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि 19.02.2021 तक बढ़ाई गयी है। अभ्यर्थी दिनांक 9.02.2021 से 19.02.2021 तक ऑनलाईन शुल्क जमा करा सकेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2021 तक भर सकेंगे।

(i) दिनांक 4 फरवरी, 2021 तक फीस जमा कर चुके परीक्षार्थी भी दिनांक 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो B.Ed व NIOS से D.El.Ed. योग्यताधारी हैं, वे लेवल-I के लिए दिनांक 09.02.2021 से 19.02.2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जिन B.Ed. योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा केवल लेवल-I। के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अन्तर राशि रू. 200/- जमा कराकर अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकेंगे।

(iii) आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी भी 09 फरवरी से 20 फरवरी, 2021 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदनकर्त्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी, 2021 से 25 फरवरी, 2021 तक ऑनलाईन कर सकते हैं।

================

ऐसे अभ्यर्थी जो B.Ed व NIOS से D.El.Ed. योग्यताधारी हैं, अगर उन्होनें लेवल-I के लिए पहले ही फॉर्म भर दिया था, तो उन्हें दुबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

जिन B.Ed. डिग्री धारियों ने मात्र लेवल 2 के लिए फॉर्म भरा है उन्हें लेवल 1 हेतु दूसरा फॉर्म अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुराने फॉर्म को अपडेट कर अंतर राशि रु 200 और जमा कराने होंगे। यह व्यवस्था विशेष परिस्थिति में की गयी है।

यदि किसी ने लेवल 2 का टोकन दिनांक 04.02.2021 तक कटवा लिया था लेकिन फार्म अभी तक नहीं भरा तो वे लेवल 2 का फॉर्म पूरा भरें और बाद में लेवल 1 के लिए रू 200 और जमा करवाने के लिए फॉर्म अपडेट करें।

REET आवेदन के प्रथम चरण में चालान बनाते समय यदि नाम, माता-पिता का नाम, जन्म दिनांक व मोबाइल नंबर में त्रुटि होने के बावजूद आपने यदि आवेदन शुल्क जमा करवा दिया हो तो आप अपना फॉर्म त्रुटि(यों) सहित भरें, दूसरा चालान बना कर शुल्क पुनः जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। त्रुटि सुधार का मौका बाद में दिया जायेगा। चालान राशि जमा करवाने के बाद आवेदन शुल्क वापिस नहीं होगा। परीक्षा लेवल में त्रुटि सुधार नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में बेहतर होगा कि सही लेवल अनुसार नए चालान से आवेदन शुल्क जमा करवाएं।

फॉर्म भरते समय यदि कोई अन्य त्रुटि हो जाती है तब भी दुसरा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। त्रुटि सुधार का मौका दिया जायेगा। यदि दो फॉर्म भरे जाते हैं तो भरे गए दोनों फॉर्म को रोल नंबर जारी होगा पर परीक्षा एक रोल नंबर पर ही देनी होगी।

सभी आवेदनकर्त्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी, 2021 से 25 फरवरी, 2021 तक ऑनलाईन कर सकते हैं। मोबाईल न., अभ्यर्थी के नाम, माता के नाम व जन्म दिनांक में परिवर्तन अभी फिलफाल ऑनलाईन संभव नहीं होगा (बाद में ऑफ लाइन हो सकेगा)। लेवल में परिवर्तन कतई नहीं होगा। अन्य सभी त्रुटियां (पिता का नाम, पता, जाति , शैक्षणिक विवरण, भाषा, विषय, फोटो, हस्ताक्षर आदि) सुधारी जा सकेंगी। विज्ञप्ति हेतु समाचार पत्र व वेबसाइट देखते रहिए, तदनुसार कार्यवाही करें।

मात्र BSTC/D.El.Ed योग्यता धारी लेवल 2 के लिए पात्र नहीं हैं, यदि वे स्नातक भी है तो लेवल 2 में प्रविष्ट हो सकते हैं।

नियम अनुसार सामान्य वर्ग को स्नातक परीक्षा में 5% अंक की छूट नहीं है किंतु सामान्य EWS को 5% की छूट देय है। सामान्य वर्ग के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग EWS में शामिल नहीं होंगे।

भाषा प्रथम "मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन" का तात्पर्य उस भाषा से है जिस माध्यम से शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है।

REET परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए आयु सीमा नहीं है।

राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी REET परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

यदि दिव्यांग अभ्यर्थी लिखने और पढ़ने में समर्थ नहीं है तभी उसे श्रुत लेखक मिल सकेगा।

शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में REET 2021 की विज्ञप्ति के बिंदु 3.1, 3.2 व 3.3 को ध्यान पूर्वक पढ़े।

B.Ed. /BSTC/D.El.Ed के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी REET परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं। भले ही कोविड के कारण उन्हें पूर्व वर्ष में प्रमोट कर दिया गया हो।

मात्र स्नातक या स्नातकोत्तर होने से ही REET परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक योग्यता में B.Ed या BSTC/D.El.Ed उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष में अध्यनरत होना भी आवश्यक है।

यदि कोई अभ्यर्थी BSTC/D.El.Ed उत्तीर्ण है और अभी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो वह लेवल 2 के लिए पात्र नहीं है।

उचित होगा कि अभ्यर्थी अपना नाम, माता - पिता का नाम, जन्म तिथि आदि विवरण सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र अनुसार लिखें। किसी प्रकार की छूट सम्बंधित सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी हो जाना चाहिए।

किसी भी संकाय का स्नातक व बी.एड. उत्तीर्ण अभ्यर्थी REET का फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षिणिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेक से कोई भी विषय ले सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा है जिसमे पात्र होने के पश्चात नियुक्ति नियोक्ता एजेंसी की शर्तों पर होगी।

लेवल 1 व लेवल 2 के लिए अलग अलग फॉर्म भरने से बचें (दोनों लेवल के अलग फॉर्म भरने पर रोक नहीं है), पर ऐसी अवस्था में दो अलग अलग रोल नंबर से अलग अलग प्रवेश पात्र जारी होंगे। हो सकता है दोनों परीक्षाओं के केंद्र बहुत दूर आएं जिससे आप एक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।

आवेदन शुल्क / चालान संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। आवेदन शुल्क वापिसी का प्रावधान नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद बोर्ड कार्यालय में शुल्क प्राप्ति व चालान वेरिफिकेशन में कभी कभी कुछ अधिक समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ प्रतीक्षा कीजिये।